अध्याय-19

संस्थाओं द्वारा परिसरों को किराए पर दिया जाना

ऐसा हो सकता है कि विभिन्न संस्थाओं द्वारा समान प्रकृति वाली संस्थाओं या सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को किराए पर दिया जाए। इसिलए, इस संबंध में सरकार ने निम्न निर्णय लिये हैं:-

(i) आवंटिती संस्थाओं को पूर्ण रूप से अनुमेय एफएआर के आधार पर भवन का उपयोग करना होगा।

(ii) संस्था पट्टादाता से पूर्व अनुमति लेकर जिसमें लाइसेंसी संस्था के पंजीकरण प्रमाणपत्र की प्रति, ज्ञापन की प्रति तथा अंतर्नियमों का उल्लेख हो, निर्मित क्षेत्र का कोई भाग समान प्रकृति वाली संस्थाओं को किराए पर दे सकता है;

(iii) किराएदार संस्था को परिसर का कोई भाग, जो निर्मित क्षेत्र के 15 प्रतिशत से अधिक न हो, पट्टादाता की पूर्व अनुमति लेकर सेवा संगठनों जैसे कि बैंक इत्यादि को प्राप्त लाइसेंस शुल्क के 25 प्रतिशत का भुगतान करके किराए पर दे सकता है;

(iv) संस्था को परिसर के कुछ भाग को परिस्थितियों के अनुसार अपने कर्मचारियों के आवासीय उद्देश्य के लिए भी इस्तेमाल करने की अनुमति है, वह भाग निर्मित क्षेत्र के 15 प्रतिशत से अधिक नहीं होना चाहिए या अधिकतम 15 वर्गमीटर होना चाहिए; तथा

(v) उपरोक्त आधार पर उपकिराएदारी हेतु दिया जाने वाला आवासीय उद्देश्य सहित कुल भाग निर्मित क्षेत्र के 40 प्रतिशत से अधिक नहीं होना चाहिए।

उन मामलों में जहां संस्थाओं ने पहले से ही परिसर के एक भाग को उपकिराएदारी हेतु दे रखा है, उपरोक्त अभिलेख भूमि एवं विकास कार्यालय को प्रत्येक मामले के नियमितीकरण के लिए छः माह के भीतर सौप दिए जाने चाहिए। इस उद्देश्य की नोटिस भूमि एवं विकास कार्यालय द्वारा सभी संस्थाओं को प्रेषित की जाएगी। हालांकि, उन मामलों में जिनमें उपकिराएदारी हेतु पट्टादाता से पूर्व अनुमति नहीं प्राप्त की गई है, उपकिराएदारी हेतु दिए गए भाग का वॉणिज्यिक भूमि की दरों के आधार पर 10 प्रतिशत अर्थदंड लगाया जाएगा।

[शहरी विकास मंत्रालय पत्र सं. 344/94-एलडी दिनांकित 21.3.1994]